न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी आह्वाद निवृति सोमनाथ, आईए.एस.

प्रकरण संख्या 83/2024 प्रा0प0

1. श्री नारू नाथ पिता स्व0 शंकरनाथ निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाडा।

प्रार्थी

उनवान

बनाम

1. श्री शंकरलाल पिता देवा राम सुथार निवासी पुराना बस स्टेण्ड भीलवाडा।
2. श्रीमति कमला देवी पत्नि जगदीशचन्द्र दरक निवासी एलएनटी रोड भीलवाडा।
3. सचिव नगर विकास न्यास भीलवाडा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।
5. उपपंजीयक भीलवाडा प्रथम व द्वितीय

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

उपस्थितः—

1. श्रवण कुमार सैन अधिवक्ता प्रार्थी
2. केदार वैष्णव अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01
3. कैलाशचन्द्र आचार्य अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02

:: निर्णय ::

दिनांक 28.05.2024

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का प्रस्तुत किया है जिसमें ग्राम आटूण प0ह0 आटूण तहसील भीलवाडा की आराजी नम्बर 1061, 1061/1, 1062 कुल किता 03 रकबा 0.6459 हैक्टेयर भूमि विवादग्रस्त है। ग्राम आटूण में प्रार्थी के पिता शंकरनाथ आत्मज रामनाथ के नाम पर आराजी नम्बर 1056, 1059, 1060, 1061, 1062 कुल किता 05 कुल रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा भूमि दर्ज थी, उक्त वर्णित भूमि में से प्रार्थी के पिता शंकरनाथ ने विपक्षी संख्या 01 के पिता देवाराम आत्मज किशनलाल सुथार को आराजी नम्बर 1061, 1062, कुल किता 02 कुल रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा में से 02 बीघा भूमि का ही बिकाव किया, शेष 11 बिस्वा भूमि प्रार्थी के पिता की शेष आराजी नम्बर 1056, 1059, 1060 में आने जाने हेतु रास्ता के लिए छोडी गई उसी अनुसार विक्रयपत्र का निष्पादन करवाया गया, विक्रय पत्र में अंकित पडौस पूर्व में रास्ता प्रथम पक्ष की आराजियात में जाने का, पश्चिम उदयलाल पिता शंकरलाल की आराजियात, उत्तर आम रास्ता सडक, दक्षिण में प्रथमपक्ष की अन्य आराजियात ।

प्रार्थी के पिता शंकरनाथ आत्मज रामनाथ ने आराजी नम्बर 1061, 1062 कुल किता 02 कुल रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा में से 02 बीघा भूमि ही देवाराम आत्मज किशनलाल सुथार को विक्रय की उक्त वर्णित आराजियात में से 11 बिस्वा भूमि स्वंय के उपयोग उपभोग रास्ते के लिए छोडी गई, राजस्व रेकार्ड में विपक्षीगण के नाम दर्ज है जिससे प्रार्थी को मौके से बेदखल कर पट्टे जारी करवा अन्य व्यक्तियो को अन्तरण करने एंव निर्माण करने की धमकी दी गई जिससे प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया प्रार्थी की और से विपक्षीगण के विरूद्व घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पृथक से प्रस्तुत कर रखा है जिसके निस्तारण में समय लगने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है विपक्षीगण द्वारा रास्ते की भूमि को बन्द कर निर्माण कर दिया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए में विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करायी जाने की प्रार्थना की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का दिनांक 11.03.2024 को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई है कि ग्राम आटूण प0ह0 आटूण तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी नम्बर 1061/1 रकबा 0.0379 है0 आराजी नम्बर 1062 रकबा 0.4805 है0 आराजी नम्बर 1265 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.6449 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 11.4.2024 तक इस आशय की जारी की जाती है कि उभयपक्षकारान वादग्रस्त आराजियात की मौके की यथास्थिति बनाये रखी जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब विपक्षी संख्या 02 की और से पेश करते हुए प्रारम्भिक आपत्तियॉ एवं मजिद कथन प्रस्तुत किये है जिसमें ग्राम आटूण के आराजी नम्बर 1061, 1062, 1063/1, 1067, 1056, 1059, 1060, 2673/1058 खातेदार शंकरनाथ के नाम दर्ज थी, जो प्रार्थी नारू के पिता है, शंकरनाथ ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.07.1983 को आराजी संख्या 1061 एवं 1062 देवाराम सुथार को सम्पूर्ण 02 बीघा 11 बिस्वा को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया श्री देवाराम सुथार की मृत्यु पश्चात् विरासत एवं हक त्याग से नामान्तरकरण उसके पुत्र श्री शंकरलाल सुथार विपक्षी संख्या 01 के नाम पर खोला गया इसी प्रकार दिनांक 25.11.1983 को शंकरनाथ ने आराजी संख्या 1056, 1059, 1060 उदयलाल सुथार एवं विपक्षी संख्या 01 शंकरलाल सुथार को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। इस प्रकार उपरोक्त सभी आराजियात शंकरलाल सुथार के नाम दर्ज होकर विपक्षी संख्या 01 ने विपक्षी संख्या 02 को विक्रय कर दी, प्रार्थी के हक अधिकार एवं आधिपत्य एवं कब्जे की कोई आराजियात स्थित नही है फिर किस प्रकार से 11 बिस्वा रास्ते का विवाद करने का अधिकार प्रार्थी को शेष रह जाता है। प्रार्थी को उक्त वादपत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है। वादग्रस्त भूमि 90–बी के तहत समर्पण की जा चुकी है, उपरोक्त भूमि अब कृषि नही होकर आबादी एवं आवासीय हेतु समर्पित होकर खाता नगर विकास न्यास के नाम खुल चुका है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कराया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब विपक्षी संख्या 01 की और से पेश करते हुए प्रारम्भिक आपत्तिया एवं मजिद कथन प्रस्तुत किये है जिसमें ग्राम आटूण के आराजी नम्बर 1061, 1062, 1063/1, 1067, 1056, 1059, 1060, 2673/1058 खातेदार शंकरनाथ के नाम दर्ज थी, जो प्रार्थी नारू के पिता है, शंकरनाथ ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.07.1983 को आराजी संख्या 1061 एवं 1062 देवाराम सुथार को सम्पूर्ण 02 बीघा 11 बिस्वा को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया श्री देवाराम सुथार की मृत्यु पश्चात् विरासत एवं हक त्याग से नामान्तरकरण उसके पुत्र श्री शंकरलाल सुथार विपक्षी संख्या 01 के नाम पर खोला गया इसी प्रकार दिनांक 25.11.1983 को शंकरनाथ ने आराजी संख्या 1056, 1059, 1060 उदयलाल सुथार एवं विपक्षी संख्या 01 शंकरलाल सुथार को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। इस प्रकार उपरोक्त सभी आराजियात शंकरलाल सुथार के नाम दर्ज होकर विपक्षी संख्या 01 ने विपक्षी संख्या 02 को विक्रय कर दी, प्रार्थी के हक अधिकार एवं आधिपत्य एवं कब्जे की कोई आराजियात स्थित नही है फिर किस प्रकार से 11 बिस्वा रास्ते का विवाद करने का अधिकार प्रार्थी को शेष रह जाता है। प्रार्थी को उक्त वादपत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है। वादग्रस्त भूमि 90–बी के तहत समर्पण की जा चुकी है, उपरोक्त भूमि अब कृषि नही होकर आबादी एवं आवासीय हेतु समर्पित होकर खाता नगर विकास न्यास के नाम खुल चुका है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कराया जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम आटूण प0ह0 आटूण तहसील भीलवाडा की आराजी नम्बर 1061, 1061/1, 1062 कुल किता 03 रकबा 0.6459 हैक्टेयर भूमि विवादग्रस्त है। ग्राम आटूण में प्रार्थी के पिता शंकरनाथ आत्मज रामनाथ के नाम पर आराजी नम्बर 1056, 1059, 1060, 1061, 1062 कुल किता 05 कुल रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा भूमि दर्ज थी, उक्त वर्णित भूमि में से प्रार्थी के पिता शंकरनाथ ने विपक्षी संख्या 01 के पिता देवाराम आत्मज किशनलाल सुथार को आराजी नम्बर 1061, 1062, कुल किता 02 कुल रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा में से 02 बीघा भूमि का ही बिकाव किया, शेष 11 बिस्वा भूमि प्रार्थी के पिता की शेष आराजी नम्बर 1056, 1059, 1060 में आने जाने हेतु रास्ता के लिए छोडी गई उसी अनुसार विक्रयपत्र का निष्पादन करवाया गया, विक्रय पत्र में अंकित पडौस पूर्व में रास्ता प्रथम पक्ष की आराजियात में जाने का, पश्चिम उदयलाल पिता शंकरलाल की आराजियात, उत्तर आम रास्ता सडक, दक्षिण में प्रथमपक्ष की अन्य आराजियात ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थी के पिता शंकरनाथ आत्मज रामनाथ ने आराजी नम्बर 1061, 1062 कुल किता 02 कुल रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा में से 02 बीघा भूमि ही देवाराम आत्मज किशनलाल सुथार को विक्रय की उक्त वर्णित आराजियात में से 11 बिस्वा भूमि स्वंय के उपयोग उपभोग रास्ते के लिए छोडी गई, राजस्व रेकार्ड में विपक्षीगण के नाम दर्ज है जिससे प्रार्थी को मौके से बेदखल कर पट्टे जारी करवा अन्य व्यक्तियो को अन्तरण करने एंव निर्माण करने की धमकी दी गई जिससे प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया प्रार्थी की और से विपक्षीगण के विरूद्व घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पृथक से प्रस्तुत कर रखा है जिसके निस्तारण में समय लगने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है विपक्षीगण द्वारा रास्ते की भूमि को बन्द कर निर्माण कर दिया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए में विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करायी जावे।

विपक्षी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम आटूण के आराजी नम्बर 1061, 1062, 1063/1, 1067, 1056, 1059, 1060, 2673/1058 खातेदार शंकरनाथ के नाम दर्ज थी, जो प्रार्थी नारू के पिता है, शंकरनाथ ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.07.1983 को आराजी संख्या 1061 एवं 1062 देवाराम सुथार को सम्पूर्ण 02 बीघा 11 बिस्वा को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया श्री देवाराम सुथार की मृत्यु पश्चात् विरासत एवं हक त्याग से नामान्तरकरण उसके पुत्र श्री शंकरलाल सुथार विपक्षी संख्या 01 के नाम पर खोला गया इसी प्रकार दिनांक 25.11.1983 को शंकरनाथ ने आराजी संख्या 1056, 1059, 1060 उदयलाल सुथार एवं विपक्षी संख्या 01 शंकरलाल सुथार को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। इस प्रकार उपरोक्त सभी आराजियात शंकरलाल सुथार के नाम दर्ज होकर विपक्षी संख्या 01 ने विपक्षी संख्या 02 को विक्रय कर दी, प्रार्थी के हक अधिकार एवं आधिपत्य एवं कब्जे की कोई आराजियात स्थित नही है फिर किस प्रकार से 11 बिस्वा रास्ते का विवाद करने का अधिकार प्रार्थी को शेष रह जाता है। प्रार्थी को उक्त वादपत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है। वादग्रस्त भूमि 90–बी के तहत समर्पण की जा चुकी है, उपरोक्त भूमि अब कृषि नही होकर आबादी एवं आवासीय हेतु समर्पित होकर खाता नगर विकास न्यास के नाम खुल चुका है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कराया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का अध्ययन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन् किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का भली भांति परीक्षण किया वादग्रस्त ग्राम आटूण प0ह0 आटूण तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी नम्बर 1061 रकबा 0.4805 है0 आराजी नम्बर 1061/1 रकबा 0.0379 है0 आराजी नम्बर 1062 रकबा 0.1265 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.6449 हैक्टेयर भूमि में से 11 बिस्वा भूमि रास्ते के लिए छोडी गई जिसका प्रार्थी उपयोग उपभोग कर रहा है जिससे प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है एवं सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है अगर विपक्षीगण द्वारा उक्त रास्ते की 11 बिस्वा भूमि को बन्द कर निर्माण कर दिया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब एवं मजिद कथन में आपत्तियॉ प्रकट की है उसके संबंध में मूलवाद में उभयपक्ष की साक्ष्य एवं दस्तावेजो के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय किया जायेगा। वादग्रस्त आराजियात के संबंध में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक जारी करना न्यायोचित प्रतीती होता है अतःएवं

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का स्वीकार किया जाकर ग्राम आटूण प0ह0 आटूण तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी नम्बर 1061 रकबा 0.4805 है0 आराजी नम्बर 1061/1 रकबा 0.0379 है0 आराजी नम्बर 1062 रकबा 0.1265 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.6449 हैक्टेयर भूमि में से रास्ते के लिए छोडी गई 11 बिस्वा भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विपक्षीगण उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात की मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखी जावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा